

विधिकि सफलता और परहिर संबंधी चुनौतयाँ

यह एडटोरियल 10/01/2024 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Justice for Bilkis Bano, questions on remission" लेख पर आधारित है। इसमें बलिक्सि बानो मामले में दोषियों के लिये छूट के निलंबन के आलोक में राज्यों के छूट नियमों और संबंधित संवेदनकि प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लिये:

राष्ट्रपति की कशमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 161, राज्यपाल, कारागार अधिनियम, 1894, के बाहर सहि बनाम भारत संघ (1989), दंड प्रक्रिया संहति (CrPC)।

मेन्स के लिये:

भारत में परहिर नियम और संबंधित संवेदनकि प्रावधान।

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बलिक्सि याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले (2022) में बलिक्सि बानो बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को दी गई छूट या **प्रहिर (remission)** को पलट दिया है। गुजरात राज्य ने अपनी वर्ष 1992 की प्रहिर नीति (remission policy) के आधार पर 10 अगस्त 2023 को प्रहिर प्रदान करते हुए इन दोषियों को रहा कर दिया था। राज्य के इस प्रहिर आदेश से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने निर्णय दिया था कि इस मामले में गुजरात राज्य उपयुक्त सरकार है जो **दंड प्रक्रिया संहति, 1973 (CrPC)** के अनुसार प्रहिर प्रदान करने के लिये अधिवित है।

बलिक्सि बानो मामले में हाल के मुद्दे क्या थे?

- अन्याय और मलीभगत:**
 - बलिक्सि बानो मामले में 'असाधारण स्तर का अन्याय' (injustice of exceptionalism) संलग्न माना गया, जहाँ सामूहिक बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को बनी अधिक सोच-विचार के दंड से प्रहिर प्रदान कर दिया गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से एक याचिकाकरता, पूर्व के एक खंडपीठ और गुजरात सरकार के बीच मलीभगत का प्रदाफाश हुआ जहाँ अवैध रूप से प्रहिर प्रदान किया गया।
- प्रहिर अनुप्रयोग क्षेत्राधिकार (Remission Application Jurisdiction):**
 - एक सपष्ट कानूनी मसिल मौजूद होने के बावजूद, गुजरात सरकार ने कानून का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्ति का आहरण कर प्रहिर अनुप्रयोगों पर अधिकार प्राप्त कर लिया।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को प्रहिर प्रदान कर सकने के लिये 'समुचित सरकार' (appropriate government) मानने के पूर्व के निर्णय को अवैध करार देते हुए 11 दोषियों के प्रहिर आदेश को रद्द कर दिया।
- विधिका शासन बनाए रखने के लिये प्रशंसा:**
 - असाधारण अन्याय की स्थिति में **विधिके शासन** को बनाए रखने और कानून के समक्ष समता को अक्षुण्ण बनाए रखने में न्यायिक संवीक्षा के महत्व पर बल देने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा की जा रही है।
 - इस निर्णय के सख्त स्वर ने अवैधताओं और मलीभगत को उजागर किया, जासिसे बलिक्सि बानो को न्याय के इस संघर्ष में सांत्वना मिली।
- बलिक्सि बानो की सहनशीलता:**
 - न्याय की तलाश में बलिक्सि बानो की बनी रही सहनशीलता (वह टूटी नहीं, झुकी नहीं, न्यायपालकि पर आस्था को डिगिने नहीं दिया) को चहिनति किया गया और इसकी सराहना की गई, वरिष्ठ रूप से जबकि 11 दोषियों की रहिई के बाद एक समूह द्वारा निर्लज्ज उत्सव का दृश्य भी देखने को मिला था।
 - ताजा निर्णय को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो बलिक्सि बानो को सांत्वना और समर्थन प्रदान करता है तथा महिला अधिकारवादी अधिविक्ताओं के प्रयासों को चहिनति करता है।

प्रहिर या छूट (Remission) क्या है?

■ परचियः

- फर्लॉग (furlough) और पैरोल (parole) के विपरीत, परहिर के मामले में दंड की मूल प्रकृतिको बनाए रखते हुए दंड की अवधि को कम करना शामिल है।
- प्रदत्त परहिर के परणिमस्वरूप एक निर्दिष्ट रहिई तथि धोषति की जाती है, लेकिन रहिई की शर्तों के उल्लंघन के मामले में पूर्ण मूल दंड की पुनर्बहाली की जा सकती है।
- स्वतंत्रता और जवाबदेही को संतुलित करना:
 - परहिर की अवधारणा पर विचार करें तो यह रहिई की एक विशिष्ट तथि धोषति करता है। लेकिन दोषी द्वारा रहिई की शर्तों का पालन करना अनविरय होता है, जहाँ उल्लंघन के मामले में इस परहिर को रद्द करया जा सकता है।
 - शर्तों के उल्लंघन के परणिमस्वरूप परहिर रद्द कर दया जाता है, जिससे दोषी व्यक्ति को आरंभिक रूप से प्रदत्त दंड की पूरी अवधि गुजारनी होती है।
 - स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच यह नाजुक संतुलन परहिर की कानूनी गतशीलता को आकार प्रदान करता है।

■ पृष्ठभूमि:

◦ कारागार अधिनियम 1894:

- **कारागार अधिनियम, 1894** द्वारा शास्ति परहिर प्रणाली कैदयों के लयि मारक्स प्रदान करने और दंड कम करने के नियमों की दूरेखा तैयार करती है।
- न्यायालय, जैसा कि **केहर सहि बनाम भारत संघ मामले (1989)** में सपष्ट करया गया, सुधार के सदिधांतों पर प्रकाश डालते हुए, कैदयों के लयि परहिर पर विचार करने के महत्व पर बल देता है।

◦ सुधार का सदिधांत (Principle of Reformation):

- यदरहिई या मुक्तिकी आशा नहीं हो तो यह **अनुच्छेद 20 और 21** के तहत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के विद्युत होगा।
- जबकि कसी भी दोषी के पास परहिर या दंड से छूट का **मूल अधिकार** नहीं है, परहिर के लयि विचार करया जाने का अधिकार वैधानिक माना जाता है जो प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप भी है।
- परहिर के मामले में कार्यकारी शक्ति और संवैधानिक सुरक्षा उपाय:
 - परहिर के मामले में राज्य की कार्यकारी शक्तिको, जैसा कि हरयाणा राज्य बनाम महेंद्र सहि मामले (2007) में प्रकट हुआ, व्यक्तिगत मामलों एवं प्रासंगिक कारकों पर विचार करना चाहयि।
 - महेंद्र सहि मामला परहिर और संवैधानिक अधिकारों के बीच के संतुलन को रेखांकति करता है।
 - न्यायालय व्यक्तिगत मामले पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जहाँ वे परहिर के मूल अधिकार की अनुपस्थितिको स्वीकार करते हुए भी इस पर विचार करया जाने के कानूनी अधिकार को चिह्नित करते हैं।

■ संवैधानिक प्रावधान:

- **संवैधान** द्वारा **राष्ट्रपति** और राज्यपाल दोनों को **क्षमादान (pardon)** की संपर्भु शक्ति प्रदान की गई है।
 - **अनुच्छेद 72** के तहत राष्ट्रपति के पास कसी अपराध के लयि सदिधदोष ठहराए गए कसी व्यक्ति के दंड को क्षमा (pardon), उसका प्रवलिंबन (reprieve), वरिम (respite) या परहिर (remission) करने की अथवा दंडादेश के नलिंबन (suspend), परहिर (remit) या लघुकरण (commute) की शक्ति है।
 - ऐसा सभी मामलों में कसी भी अपराध के लयि सदिधदोष ठहराए गए कसी भी व्यक्ति के लयि करया जा सकता है, जहाँ:
 - दंड या दंडादेश सेना न्यायालय या कोर्ट-मार्शल के माध्यम से दया गया है
 - दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी कसी विधिके विद्युत अपराध के लयि दया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्तिका वसितार है
 - दंड या दंडादेश मृत्युदंड है।
- **अनुच्छेद 161** के तहत राज्यपाल के पास कसी अपराध के लयि सदिधदोष ठहराए गए कसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रवलिंबन, वरिम या परहिर करने की अथवा दंडादेश के नलिंबन, परहिर या लघुकरण की शक्ति है।
 - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले कसी भी विषय पर कसी भी विधिके विद्युत कसी अपराध के लयि सदिधदोष ठहराए गए कसी व्यक्ति के लयि करया जा सकता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कसी राज्य का राज्यपाल न्यूनतम 14 वर्ष की सजा काटने के पूर्व भी कसी बंदी को (मृत्युदंड के लयि प्रतीक्षित बंदी सहित) क्षमादान प्रदान कर सकता है।

◦ अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तिका दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।

■ परहिर की सांवधिक शक्ति:

- **दंड प्रकरण संहति (CrPC)** जेल की सजा में परहिर का प्रावधान करती है, जिसका अर्थ है कि पूरी सजा या उसका कुछ हिस्से को रद्द करया जा सकता है।
- धारा 432 के तहत 'समुचित सरकार' कसी दंड का पूरी तरह से या आंशकि रूप से, शर्तों के साथ या शर्तरहति, नलिंबन या परहिर कर सकती है।
- धारा 433 के तहत समुचित सरकार द्वारा कसी भी दंड का लघुकरण करया जा सकता है।
- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे कारागार दंड पूरा करने से पहले बंदयों की रहिई का आदेश दे सकें।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परहिर संबंधी प्रमुख ऐतिहासिक मामले कौन-से रहे हैं?

■ मारू राम बनाम भारत संघ (1980):

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि दंड को सुधार का रंग देने की एक आधुनिक प्रवृत्ति उभरती हुई प्रतीत होती है ताकि अपराधी को कारागार में बंद रखने के बजाय उसके सुधार पर बल दया जा सके, जो कि एक आदरश उद्देश्य है।

■ लक्ष्यमण नस्कर बनाम पश्चामि बंगल राज्य (2000):

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को निरिधारित किया जो परहिर के आधार तय करते हैं, जैसे:
 - क्या किया गया अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किये बना अपराध का एक व्यक्तिगत कृत्य है?
 - क्या भविष्य में अपराध की पुनरावृत्त की कोई संभावना है?
 - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी क्षमता खो चुका है?
 - क्या इस सदिधोष को अब और कैद में रखने का कोई सारथक उद्देश्य है?
 - दोषी के परवार की सामाजिक-आरथिक स्थिति?

■ ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परहिर के आदेश की न्यायिक समीक्षा नमिनलिखिति आधारों पर उपलब्ध है:
 - विविक का गैर-अनुपरयोग (non-application of mind);
 - यदि आदेश दुरभावनापूरण है;
 - यदा ऐसा आदेश असंगत या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारति किया गया है;
 - प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार नहीं किया गया है;
 - आदेश मनमाना है।

■ भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015):

- क्या दोषी को बना परहिर के विकल्प के उसकी अंतमि साँस तक के लिये आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है?
- 'कार्यकारी क्षमादान' का अधिकार राष्ट्रपति या राज्यपाल में नहित है।

■ बलिकसि बानो मामले पर जनहति याचकिएँ (2023)

- परहिर आवेदन पर निरिण्य लेने के लिये 'समुचित सरकार' वह राज्य है जहाँ दोषियों को सजा सुनाई गई है।
- न्यायालय ने माना कि गुजरात सरकार ने दोषियों को सजा में छूट देते समय महाराष्ट्र सरकार से शक्ति का आहरण किया।

परहिर से संबंधित प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

■ परहिर के लिये पात्रता और आवेदन प्रक्रिया:

- आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को परहिर के लिये आवेदन करने से पहले कम से कम 14 साल की सजा काटनी होती है। 'वन-साइज़-फटिस-ऑल' का यह दृष्टिकोण सुधारात्मक प्रकरणियों में बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- अपराध की प्रकृति, पुनरावृत्त की संभावना और सामाजिक-आरथिक स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर प्रत्येक आवेदन पर एक समिति द्वारा व्यक्तिगत मामले के आधार पर विचार किया जाता है।
- इस बात का उल्लेख नहीं है कि ऐसी समितिका गठन व्यापक प्रतिनिधित्व की पूरतीकरता हो।

■ परहिर प्रक्रिया में पारदर्शता का अभाव:

- परहिर समितियों के गठन के बारे में पारदर्शता की कमी और निरिण्य के कारणों की अनुपस्थिति भनमानी शक्ति के प्रयोग के बारे में चित्ताएँ बढ़ती हैं।
 - बलिकसि बानो मामले में 11 दोषियों का मामला बानो का मामला अनियंत्रित विविक को उजागर करता है जहाँ गुजरात सरकार की ओर से प्रत्येक दोषी के लिये सदृश आदेश जारी किया गए।

■ परहिर आदेशों की न्यायिक समीक्षा:

- ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रुख का हवाला दिया गया है, जो दर्शाता है कि परहिर के आदेशों की न्यायिक समीक्षा विविक के गैर-अनुपरयोग (non-application of mind) के मामलों तक ही सीमित है।
- बलिकसि बानो मामले में विविक के गैर-अनुपरयोग से जुड़ी चित्ता बेहद प्रकट हैं जहाँ प्रत्येक दोषी के लिये सदृश आदेश जारी किये गए।

■ परहिर नीतियों में विद्यमान चुनौतियाँ:

- भारत में कुछ राज्यों में ऐसी परहिर संबंधी नीतियाँ मौजूद हैं जो या तो विशिष्ट अपराधी श्रेणियों को अवसरों से वंचति करती हैं या परहिर पर विचार करने से पहले कारावास की वसितारति अवधिरिखती हैं।
- इस बारे में सवाल उठते हैं कि क्या कुछ अपराधियों को परहिर के लिये अयोग्य होना चाहिये, जिससे दंड की रूपरेखा पर बहस शुरू हो गई है जो प्रतिशोधात्मक बनाम शर्त-आधारति की एक जारी बहस है।

■ न्यायालय के लिये भविष्य की चुनौतियाँ:

- सर्वोच्च न्यायालय को परहिर नीतियों के संबंध में मानक प्रश्नों को संबोधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से जबकि परहिर नीतियों के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच भनिनताएँ मौजूद हैं।
- कुछ अपराधियों की क्षमादान की पात्रता और शर्तों का नियिक्षण अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों का सामना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो न्यायालय के लिये भविष्य की दुविधियों का संकेत देता है।

निषिकरण:

बलिकसि बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निरिण्य विधिके शासन का एक सराहनीय दावा है और प्रशासन की मलिनभगत एवं अवैधताओं का खंडन है। हालाँकि, यह मामला परहिर से संबंधित अनसुलझे मुद्दों को भी प्रकाश में लाता है, जहाँ निरिण्य लेने की प्रक्रिया में विद्यमान अनियंत्रित विविक को उजागर करता है।

पारदर्शता की कमी और परहिर के निरिण्यों को नियेशति करने वाले कारण मनमानी शक्ति की संभावना को उजागर करते हैं। चूँकि समाज इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, न्यायालय को परहिर नीतियों और न्याय, पुनरवास एवं नियिक्षण के सम्बन्धों के साथ उनके सरेखण के संबंध में मानक प्रश्नों को संबोधित

करने के लिये विश्व होना पड़ेगा ।

अभ्यास प्रश्न: भारत की परहिए नीति में पारदर्शिता की कमी और अनयिंत्रित विकास किस प्रकार न्याय के लिये चुनौती पेश करते हैं तथा कौन-से सुधारात्मक उपाय नष्टिक्षण एवं सार्थक अनुपालन सुनिश्चित कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहयि? विश्लेषण कीजयि। (2014)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/legal-triumphs-and-challenges-in-remission>

